

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़

पीठासीन अधिकारी – त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 256/2019

दायरी दिनांक : 02.07.2019

उनवान

- 1 मांगीलाल पिता बालूजी जाति जाट नि0 खटवाड़ा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थी

बनाम

- 1 विजयसिंह पिता अमरसिंह बापना नि0 खटवाड़ा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
- 2 हीरा पिता मांगीलाल जाट निवासी खटवाड़ा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
- 3 बद्री पिता लाला गाडरी निवासी खटवाड़ा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
- 4 राधेश्याम पिता भोना ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों का झूपडा खटवाड़ा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
- 5 किशन पिता मांगीलाल गाडरी निवासी ब्राह्मणों का झूपडा खटवाड़ा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
- 6 भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1. श्री हरिश सनाढ्य (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

—: आदेश :-

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 19.12.2019

प्रार्थना पत्र प्रार्थी जरिये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे खाते की ग्राम खटवाड़ा पटवार मण्डल खटवाड़ा की सरहद में स्थित खाता संख्या 627 की आराजी संख्या 1269, 1270, 1275 कुल किता 03 कुल रकबा 51 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त आराजियात के पड़ोसी हैं जो आये दिन सीमाओं को लेकर एवं फसल काशत करते समय, काटते समय विवाद करते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है ताकि भविष्य में सीमाओं को लेकर विवाद नहीं रहे। उक्त आराजियात के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है। नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा कराने को तैयार है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान करावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस भेज करवाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रार्थी के उक्त आराजियात का एकल खातेदार काश्तकार होने से पत्थरगढ़ी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की गई। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2071-74 के अवलोकन से प्रार्थी विवादग्रस्त आराजी का एकल खातेदार है। पडौसियान का विवाद करने का शपथ पत्र संलग्न है। चूंकि प्रार्थी प्रश्नगत भूमि का एकल खातेदार काश्तकार है एवं प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने हेतु निवेदन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण में पत्थरगढ़ी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम खटवाडा पटवार मण्डल खटवाडा की सरहद में स्थित खाता संख्या 627 की आराजी संख्या 1269, 1270, 1275 कुल किता 03 कुल रकबा 51 बीघा 18 बिस्वा भूमि बशामलात पडौसियान के पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2600/- रुपये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ़ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

आदेश सुनाया गया।

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

